FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 20 **Date**: 27-07-13

2. **Act(s)**: **Section(s)**

(i) IPC 201/409/420/467/468/471/120-B,IPC,

(ii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 13(1) d,PC ACT

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: SaturdAY **Date From**: 27-07-2013 **Date To:** : 27-07-2013

Time Period: **Time From:** **Time To**:

(b) **Information received at P.S: Date:** : 27-07-2013 **Time**: 12-30 P.M

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.: 13** **Time:** 12-30 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

(a) Direction and Distance from P.S.: Southt 60 K.M. **Beat No**.:

(b) Address: Bahadur Garh in SVB unit Jhajjar

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

6. **Complainant/Informant**:

(a) **Name:** L/SI Savitri Devi

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address: SVB Unit, Rohtak**

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

Sh. Mahabir Singh Gulia, Sh. Mamraj Sharma, Smt. Neena Sehwag Asstt. Soil Conservation Officer, Jhajjar and appointed in above named office Sh. Rohtash kumar and Satya Parkash Accountant, Ashwini Kumar Clerk, Sh. Dharmpal Tracer Drawing Branch and Sh. Narender Pal, Jain Singh Mann and Dharmbir Singh

Pilania Agriculture Development Officer, Jhajjar, Sh. Sukhbir Singh, Bahadur Chand, Balbir Singh Agriculture Inspector and Sh. Kishan Verma Surveyor, Kitab Singh Fieldman and Sh. Sandeep S/o Radhey Shyam Malik Laxmi Enterprises Rohtak Road Dadri District Bhiwani

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

SI.No.	**Property Type(Description)**	**Est. Value(Rs.)**	**Status**
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में,प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो,(ह),रोहतक मण्डल, रोहतक। श्री मान जी, निवेदन है कि प्रारम्भिक जांच 01 दिनांक 24–8–12 झज्जर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी कमांक 66/84/12–3 चौकसी(II) दिनांक 22–8–12 की अनुपालना में महनिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृ0कमांक 11015/आई–1, दिनांक 24–8–12 अनुसार दर्ज रजिस्टर हो कर प्रारम्भिक जांच हेूत विरूद्व श्री महावीर सिह गुलिया सहायक भूमि सरक्षंक अधिकारी, झज्जर, श्री मामराज भार्मा, श्रीमति नीना सहवाग सहायक भूमि सरक्षण अधिकारी में नियुक्त रोहता ा कुमार व श्री सत्य प्रका ा लेखाकार, अ वनी कुमार लिपिक, श्री धर्मपाल टरेसर ड्राईगं भााखा तथा श्री नरेन्द्र पाल, जैन सिंह मान व व धर्मबीर पिलानिया कृशि विकास अधिकारी, झज्जर तथा श्री जगबीर सिंह, बहादुर चन्द, बलबीर सिह कृशि निरीक्षक व श्री कि ान वर्मा सर्वेयर, किताब सिंह फिल्ड मैन व सन्दीप पुत्र श्री राधे भयाम मालिक लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज रोहतक रोड दादरी जिला भिवानी प्राप्त हुई। उपरोक्त ने मिली भगत करके वर्श 2010–11– 2011–12 में चैक न0 358183 दिनांक 21–3–11 अनुसार एक करोड पच्चीस लाख सतावन हजार दो सो अस्सी रूपये(1,25,57,280) जो कि सरकार से प्राप्त हुये थे, जिनके द्वारा किसानों के खेतो मे भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने थे तथा 31,87,500 रूपये भी सरकार से किसानों के खेतो में फव्वारा लगाने के लिये प्राप्त हुये थे, गबन किया है। उपरोक्त रा ाी में से 50 प्रति ात किसानों को सबसिडी दी जानी थी । उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने श्री सन्दीप पुत्र श्री राधे भयार्मा मालिक लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज रोहतक रोड दादरी जिला भिवानी जो कृशि निदे ाक, हरियाणा से अनुमोदित है, से मिली भगत करके उपरोक्त रा ाी के पाईप खरीदने के फर्जी बिल बनवा कर व किसानो के खेतो मे पाईप लाईन न

दबा कर व फव्वारा सिस्टम न लगा कर आपस मे मिली भगत करके 1,57,44,780 रूपये के गबन करने के आरोप की पडताल की जानी थी। आरोप की जांच से पाया गया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास किसान योजना अर्न्तगत किसानों को सिचाई के लिये पाईप जमीन मे दबा कर व फव्वारा सिस्टम लगाने के हेतू 50 प्रतिशत सबसिडी दी गई थी। प्राप्त फर्म के टैण्डरों मे से विभाग द्वारा 70 फर्मो के रेट स्वीकृत किये गये थे, जिनमें फर्म श्री लक्ष्मी इन्टरप्राजिज, चरखी दादरी जिला भिवानी का भी टैण्डर स्वीकृत करके अनुमोदन किया गया था। रिकार्ड अनुसार सरकार की योजना अनुसार खेतो मे पाईप दबा कर व फव्वारा सैट लगा कर किसानों को सबसिडी दी गई। प्रत्येक किसान की अलग–अलग फाईले बनाई थी। इस प्रकार भूमि सरक्षंण विभाग, झज्जर द्वारा यू0जी0पी0एल0(जमीन मे पाईप दबाना) व एस0पी0सैट (फव्वारा सिस्टम लगाना) की प्रत्येक किसान की एक फाईल अनुसार कुल 300 फाईले, जिनम यू0जी0पी0एल0 स्कीम की 215 फाईल तथा एस0पी0सैट स्कीम की 85 फाईलें बना कर किसानों की जमीन में पाईप दबा कर फव्वारा सैट लगाने दर्शाए गये थे। जांच के दौरान उपरोक्त योजना मे से कुल 300 फाईलों में से यू0जी0पी0एल0स्कीम की 215 फाईलों में से 89 फाईलें ही उपलब्ध करवाई गई तथा एस0पी0सैट स्कीम की 85 फाईलों मे कोई भी फाईल उपलब्ध नही करवाई गई। उपरोक्त सभी अन्य फाईलें गुम की ग ई है। किसान नरेन्द्र पुत्र रामफल, सन्त सिह पुत्र इन्द्र सिंह,तेजबीर पुत्र इन्द्र सिह बेडा सिह पुत्र मितल वासी दुबलधन ने अपने–अपने कथनों मे बतलाया कि उन द्वारा अपने निजी खर्च से अपने–अपने खेतों मे पाईप दबाई गई थी, परन्तु भूमि सरंक्षण विभाग, झज्जर द्वारा व लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज फर्म दादरी द्वारा उनको सरकार की योजना अनुसार सब सिडी रा ी दी गईं द ार्ई है। योजना अनुसार प्रत्येक किसान के खेतो मे दबाई गई पाईप की सबसिडी 60 हजार रूपये या दबाई गई पाईप की कीमत की 50 प्रति ात रा ी, जो 60 हजार रूपये से अधिक न हो, सरकार द्वारा दी जानी थी। इसी प्रकार फव्वारा सिस्टम की सबसिडी 37,500 रूपये हर एक किसान जो की कुल 85 है, को दी गई द ार्ई गई है। किसान श्री जय कि ान, तेजबीर, भाकुन्तला, राजे ा, ि ाव कुमार के कथन लिये गये। प्राप्त कथनों से पाया गया कि इन किसानो ने जो पाईप लाईन अपने खर्चे पर इन्होने दबा रखी थी, उन्ही पाईप लाईनों पर सबसिडी का लालच देकर उनकी फर्द व भापथ पत्र व सन्दीप गोयल लक्ष्मी इण्टरप्राजिज के मालिक ने इस आसवा ान पर प्राप्त कर लिये थे कि सब सिडी सरकार से आने पर आपको दे दी जाएगी। उपरोक्त किसानों की किसान तेजबीर द्वारा पाईप लाईन वर्श 2009 मे रोहतक से अपने खर्चे पर पाईप लाईन दबाई थी, परन्तु उपरोक्त विभागीय अधिकारियों तथा सन्दीप द्वारा फर्जी बिल तैंयार कर वर्श 2010–11 मे स्कीम की सबसिडी इस किसानों को दी जानी दिखा

कर हज्म कर ली। इसी तरह रोहित पुत्र कुलदीप व भाकुन्तला पत्नि राजे ा गांव दुबलधन जिनके पास कोई भी कृशि योग्य भूमि नही थी, उनको भी 1,20,000 यप्ये सबसिडी के रूप में उपरोक्त प्रतिवादियों ने देने दिखाये है, जबकि उपरोक्त किसानो को कोई भी किसी प्रकार की रा ाि नही प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उपरोक्त प्रतिवादियों ने फर्जी बिल बना कर फाईल तैयार कर सबसिडी की रा ाि हज्म की है। कुछ किसानो ने जब उपायुक्त, झज्जर को सबसिडी न मिलने बारे प्रतिवादियों की ि ाकायत की तो सन्दीप गोयल के भाई मनीश गोयल, लक्ष्मी इण्टरप्राईजिज के मालिक ने 5,38,143 रूपये श्री नरेन्द्र पाल, श्री जैन सिंह मान व श्री धर्मबीर सिंह कृशि विकास अधिकारी के माध्यम से तथा ब्याज के रूप मे 93,716 रूपये विभाग में जमा करवाये थे। इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा आपसी मिली भगत कर कुल 211 फाईले गुम की गई तथा प्रतिवादियों ने किसानों को एस0पी0सैट तथा यू0जी0पी0एल0 स्कीम के तहत सैट लगाये जाने दिखा कर कुल 1,07,47,500 रूपये का गबन किया है। । इस प्रकार प्रतिवादी श्री महाबीर सिह गुलिया, श्री मामराज भार्मा, श्रीमति नीना सहवाग सहायक सरक्षंण भूमि अधिकारी, झज्जर तथा कार्यालय सहायक भूमि सरक्षंण अधिकारी में नियुक्त श्री रोहता ा कुमार व सतप्रका ा लेखाकार, अ वनी कुमार लिपिक, धर्मपाल ट्रेसर ड्राईगं भााखा तथा श्री नरेन्द्र पाल, जैन सिह मान व धर्मबीर सिह पिलानियां कृशि विकास अधिकारी झज्जर तथा, श्री जगबीर सिह, बहादुरचन्द, बलबीर सिह कृशि निरीक्षक व श्री कि ान वर्मा सर्वेयर, किताब सिंह फिल्डमैन व श्री सन्दीप पुत्र श्री राधे भयाम मालिक लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज,रोहतक रोड, दादरी जिला भिवानी ने आपसी मिली भगत करके गबन किया है। इनके विरूद्व मुकदमा जेरधारा 201/409/420/467/468/471/120–बी, भा0द0स0 व 13(1)डी.पी0सी0एक्ट के अर्न्तगत अभियोग दर्ज किये जाने का सुझाव देकर रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 66/84/12–3 चौकसी–।।, दिनांक 3–5–13, महानिदे ाक, राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा के पृ0 क्रमांक 7500/आई–1, दिनांक 10–5–13 अनुसार इस सम्बन्ध मे उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त यादि अन्य कोई कर्मचारी/अधिकारी व अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हे भी भामिल तफती ा किया जाये। अतः तहरीर आपकी सेवा मे आपकी सेवा मे आव यक कार्यवाही हेतूम इस अनुरोध के साथ प्रेशित है कि उपरोक्त दोशियो के विरूद्व उपरोक्त धाराओ के अर्न्तगत अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बन्धित को भेजी जाये। जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ सलंग्न है। इस मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी को

भेजा जाए। हस्ता अग्रेजी,म0/उ0नि0सावित्री देवी, रा0चौ0ब्यू0,रोहतक। दिनांक 27–7–2013 अज थानाः– उपरोक्त तहरीर हजा पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जायेगी। स्पे ाल रिपोर्ट बजरिया सि0 अ विन कुमार न0 2081/रोहतक द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, झज्जर भेजी गई । नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर मय जांच क्रमांक 1 दिनांक 24–8–12 झज्जर जिसका सम्पूर्ण रिकार्ड की 9 फाईलें आगामी तफती ा हेतू निज्द निरीक्षक हरि प्रका ा इन्चार्ज उप केन्द्र, झज्जर भेजी जा रही है।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**
(ii) Directed(Name of the I.O.): Sh. Hari Parkash
Rank: Inspector
No.: 31/HAP **to take up the investigation,OR**

(iii) Refused investigation due to:
OR
(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: Ram Bhaj
Rank: Inspector No. 179/RR

15 **Date and Time of despatch to the court:** बदस्त सि0 अ विन कुमार न0 2081/रोहतक